

पूर्वोत्तर रेलवे

377

150/2017

महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

डोपीस-11-15

क्रमांक-150/2017

सं० डी/207/1/भाग-24/चार

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

दिनांक 9-08-2017

प्रिक्त
उ-25/शि

विषय-अर्पन (ARPAN) के अन्तर्गत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के आधार पर 2016 से पूर्व पेंशनरों का पेंशन का रिविजन।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/एसी-11/21/8 दिनांक 19.07.2017 (आरबीए संख्या-98/2017) की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2016/एसी-11/21/8 दिनांक 09.06.2017 (आरबीए सं०-68/2017) एवं दिनांक 21.06.2017 (आरबीए सं०-75/2017) इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक दिनांक 03.07.2017 (क्रमांक-121/2017) एवं दिनांक 11.07.2017 (क्रमांक-130/2017) द्वारा पूर्व में परिचारित किया जा चुका है।

(ए० के० सिंह) 08.08.17

उपमुकाधि/अराज

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानित्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महानित्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूडरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महानित्री/रेसुब एसोसियेशन/पूडरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे-प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महानित्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एसोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- अध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसियेशन 18, जाहिद अली क्वार्टर, मेडिकल रोड शाहपुर, पो०-गौतावाटिका शाहपुर, गोरखपुर-273006
- 7- मुकाय्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक



2
150/2017

31 ch. os/Railway
Pl. circulate.
28.07.17

Government of India
Ministry of Railways
Railway Board

info
Dy. Secy
27/7

RBA NO. 98/.2017

New Delhi dated : 19.07.2017

No. 2016/AC-II/21/8

GMs/CPOs/PFAs
All Zonal Railways/PUs

NER/Gorakhpur

Sub:- Revision of pension of pre-2016 pensioners as per 7th CPC under ARPAN.

Ref: 1. Board's letters of even no. dated 09.06.2017 (RBA no.68/ 2017),
21.6.2017 (RBA no. 75/2017).
2. Board's letter no. 2016/F(E)III/1(1)/7 dated 11.07.2017.(RBE no. 66/2017)

Attention is invited to Board's letter cited under reference (1) above wherein the procedural guidelines for revision of pension of pre-1.1.2016 retirees under ARPAN has been circulated. The instructions contained in DOP&PW's OM No. 38/37/2016-P&PW(A) dated 6.7.2017 along with the concordance tables have also been circulated vide Board's letter cited under reference (2) above. Accordingly, the revision module under ARPAN has been made available by Western Railway.

It is therefore requested that action plan with target dates may be drawn for expeditious completion of the task of revision of pension as per 7th CPC. Progress made in this regard may be apprised to Board every fortnight by mail at 7epcac2rb@gmail.com.

(Vivek P. Tripathi)
Director Finance/CCA
Railway Board